

FP/CP/Other/14-131/2015

(11)

भाग 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के :

लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफरिशें।

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा चम वन संरक्षक :

की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और

विवेचात्मक टिप्पणी दी जाए)।

CF. श्रीगोपा 2 की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।

तिथि :- 27/10/20

स्थान:-

हस्ताक्षर:-

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow
संरक्षक मोहर:-